संख्या– 1680 /नौ–2–23–18(सा)/2023

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पटेल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–2 **लखनऊः दिनांक : 19 अक्टूबर, 2023**

विषय–मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत मार्ग प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली स्ट्रीट लाईट आदि की गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–तक0सेल/176/23–मु0मं0न0 सृ0यो0/दिशा–निर्देश/2022–23, दिनांक–23.08.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश संख्या–1765/नौ–9–2022–84ज/22, दिनांक–07.09.2022 द्वारा निर्धारित स्ट्रीट लाईट के कार्य, कार्यदायी संस्था ई0ई0एस0एल0 से कराने में आने वाली समस्याओं का उल्लेख करते हुये स्ट्रीट लाईट आदि का कार्य निकायों द्वारा ई–निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दर के आधार पर कराये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत स्ट्रीट लाईट के कार्य को समय से सम्पादित करने और प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से प्राईज डिस्कवरी का लाभ प्राप्त करने के आशय से यह निर्णय लिया गया है कि स्ट्रीट लाईट के कार्य ई0ई0एस0एल0 के स्थान पर निकाय द्वारा स्वयं प्रतिस्पर्धात्मक ई–निविदा के माध्यम से कराया जायेगा। यह अवश्य ध्यान रखा जाय कि स्ट्रीट लाईट के कार्य हेतु प्रतिष्ठित फर्मों का चयन करने में ई–टेण्डरिंग की शासकीय प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– इस संबंध में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित/विस्तारित/उच्चीकृत नगर निकायों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु लगायी जाने वाली स्ट्रीट लाईट आदि की गुणवत्ता एवं मानक निम्नवत् होंगे:–

(अ) एल0ई0डी0 लाईटों के क्रय हेतु निर्धारित मानक–

(1) IP67/ IP66/ IP65 प्रोटेक्शन।

(2) एल0एम0 79–08 एवं एल0एम0 80–08 National Accreditation Board for testing and calibration laboratories (NABL) टेस्ट रिपोर्ट।

(3) 5 वर्ष की रिप्लेसमेन्ट की गारंटी/वारण्टी।

(4) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित मॉड्यूल।

(5) लोक निर्माण विभाग द्वारा चिन्हांकित ऐसी संस्थाएं जो AAA ग्रेड में अनुमोदित की गयी हो द्वारा कार्य निष्पादन।

(ब) एल0ई0डी0 लाईटों/ल्यूमिनियर की स्थापना हेतु निर्धारित मानक–

क्र0 सं0	मार्ग की चौड़ाई	विद्युत पोल की ऊँचाई (मीटर में)	एक पोल से दूसरे पोल की दूरी (मीटर में)	एल0ई0डी0/ल्यूमिनियर की क्षमता (वॉट में)
1	20 फीट तक चौड़ाई के मार्ग।	5	18–20	30–45
2	20 से 30 फीट तक चौड़ाई के मार्ग।	7	25–28	60–90
3	30 से 45 फीट तक चौड़ाई के मार्ग।	9	28–30	90–120
4	45 फीट से अधिक अथवा डिवाईडर मार्ग।	10–12	30–32	120–150

(स) मिनी मास्ट/हाई मास्ट लाईट की स्थापना हेतु निर्धारित मानक–

क्र0 सं0	आच्छादित क्षेत्रफल	विद्युत पोल की ऊँचाई (मीटर में)	एल0ई0डी0 फ्लड्स लाईट की क्षमता (वॉट में)	एल0ई0डी0 फ्लड्स लाईट संख्या (नग में)
1	1000 वर्ग मीटर तक	9–11	110–120	3–4
2	1000 से 2000 वर्ग मीटर तक	11–14	120–150	4–6
3	2000 से 5000 वर्ग मीटर तक	14–16	150–190	6–8
4	5000 वर्ग मीटर से अधिक।	25–30	200–250	8–12

4– 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने पर एल0ई0डी0 फ्लड्स लाईटस एवं विद्युत पोल की संख्या स्थलीय आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।

5– सोलर स्ट्रीट लाईटों में बैटरी एवं पैनल के संबंध में यू0पी0 नेडा के मानक एवं स्पेसिफिकेशन के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

6– लाईट पोल आदि के संबंध में डी0पी0आर0 तैयार करते समय पी0डब्लू0डी0 के एस0ओ0आर0 का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए।

7– इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों (यदि कोई हो) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

8– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक–07.09.2022 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पटेल)
विशेष सचिव।

VN SNG-GO-NV-2 BACK-UP

संख्या– 1680 (1)/नौ–2–2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. सम्बन्धित नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
6. निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
7. सहायक निदेशक(लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
8. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा)।
9. सी0ई0ओ0, ई0ई0एस0एल0, ग्रेटर नोएडा।
10. समस्त अनुभाग नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

VN SNG-GO-NV-2 BACK-UP